FORM No-III

**फर्द अहकाम**

**( नियम 26)**

**अज अदालत :— अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली**

**प्रार्थी :—** **बनाम** **अप्रार्थी :—**

जिला रसद अधिकारी करणीदान

**रसद विविध प्रकरण संख्या :: 65 /2021**

(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2021/201 )

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18/10/21 | वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस प्रकरण में प्रस्तुत कर जिला रसद अधिकारी, पाली के प्रर्वतन निरीक्षक कृष्णा कवंर भाटी द्वारा जप्त सुदा अवैध पैट्रोलियम प्रोडक्ट(बेस ऑयल) करीब 2200 लीटर एवं वाहन(पीकअप) संख्या आर.जे. 18 जीए 8935 जब्त कर पुलिस थाना सोजत के एचसी श्री कानामराम को सुपुर्द पर दिया गया है जिसे वकील प्रार्थी ने जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने हेतु एक प्रार्थना पत्र u/s 451 c.r.p.c. के प्रस्तुत किया है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।<br><br>वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रकरण u/s 6A Ec Act 1955 की धारा 6(ए) के तहत जब्त अवैध पैट्रोलियम प्रोडक्ट(बेस ऑयल) करीब 2200 लीटर एवं वाहन (पीकअप) संख्या आर.जे. 18 जीए 8935 के अतिम निस्तारण हेतु प्रकरण पेश किया जा चुका है तथा उक्त प्रकरण में वर्तमान में जब्तशुदा वाहन वाहन(पीकअप) संख्या आर.जे. 18 जीए 8935 की आवश्यकता नही है, वाहन खुल्ले में पडा है प्रकरण के अतिंम निर्णय में वक्त लगेगा जिस कारण से उक्त वाहन जमानत एवं सुपुदर्गीनामें पर छोडा जाना आवश्यक है। जब्तसुदा वाहन का रंग रोगन टायर टयुब एवं मशीनरी के खराब होने का अंदेश बना हुआ है। प्रार्थी प्रकरण के चलने तक उक्त वाहन को बेचान अन्तरण नही करेगा तथा न ही उसके स्वरूप में बदलाव नही करेगा। न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त वाहन को कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा। उक्त वाहन ही प्रार्थी के परिवार की रोजी—रोटी का जरिया है। इसलिए उसे सुपुर्दगी नामे पर छोड़ा जाना आवश्यक एवं विधिसम्मत है। प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि वाहन पर फिटेड ऑयल टैंक को स्वयं के खर्चे पर हटाने के लिये तैयार है। ऐसी स्थिति में जब्त वाहन को जमानत व सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को प्रदान कराने बाबत आदेश जारी करावे।<br><br>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबध में मूल प्रकरण संख्या 63/2021 की पत्रावली तलब कर वाहन जमानत एवं सुपुदर्गीनामे पर दिये जाने बाबत सुनवायी की गई। बहस पर मनन किया गया एवं मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया गया, प्रकरण में जब्तशुदा वाहन (पीकअप) संख्या आर.जे. 18 जीए 8935 पर टैंक फिट किया हुआ है जिसमें 2200 लीटर पैट्रोलियम प्रोडक्ट(बेस ऑयल) भरा हुआ है। फिटेड टैंक को वाहन से खोल कर अलग करना संभव नही है। ऐसी स्थिति में वाहन को जमानत एवं सुपुर्दगी नामे पर छोड़ा जाना न्यायोचित नहीं है।<br><br>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली मूल प्रकरण संख्या 63/2021 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बअनवान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, पाली बनाम करणीदान के संलग्न की जावें।<br><br>**अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली** | |